न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :**पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 164 सन 2023

अनवान :–

1. मनीराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी ब्रहाम्णवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. हरलाल पुत्र काशीराम जाति स्वामी निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर।
2. विधा पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर।
3. महेन्द्र कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी ब्राहम्णवासी तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
6. उप पजींयक खुईया तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता सायलान
श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक :– 15/3/2024

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खाता सख्या 5/5 के खसरा न0 126 की कुल 8.2830हैक भूमि मृतक करतारसिह पत्रु पालसिह व सायल व गेरसायल संख्या 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी व रोही मोजा कानसर के खाता संख्या 17/20 की कुल 10.6110हैक भूमि सायल व गैरसायल संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि मुश्तरका खाता की भूमि है तथा मुश्तरका खाता की भूमि में प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का हक व हिस्सा होता है गेरसायल संख्या 1 ता 3 बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी किस्म की भूमि को बेचान करना चाहता हे तथा सायल के साथ सीवं डोल से सम्बधित विव्राद करते रहते है इसलिये सायल विवाद को टालने की गर्ज से वादग्रस्त भूमि का मुताबिक किस्म अच्छी में से अच्छी व माडी मे सं माडी के अनुसार खाता व लगान अलग– अलग तकसीम करवा पाने के अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 ता 3 जो काफी तेज तर्रार व्यक्ति है उक्त वाद भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी किस्म की भूमि को बेचान करना चाहते है यदि गैरसायल संख्या 1 ता 3 अपनी योजना में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी इसलिये सायल गेरसायल संख्या 1 ता 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 ता 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की रोही मौजा ब्राहम्णवासी के खाता संख्या 5/5 की कुल 8.2830हैक व रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 17/20 की कुल 10.6110हैक भूमि को खाता विभाजन होने तक रहन बेय या मुन्तकील नही करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमावें।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये गैरसायल संख्या 1 के अधिवक्ता ने सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की पूर्व में वाद संख्या 278/2018 अनवानी हरलाल बनाम अमीलाल आदि अन्तर्गत 53 राजस्थान काश्तकारी [illegible] दिनांक 31.08.2020 को तहसीलदार नोहर से रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात अन्तिम [illegible] चुका है तथा जिसकी सायल स्वय ने श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी [illegible] अनवानी मनीराम बनाम हरलाल प्रस्तुत की गई थी इसलिये धारा [illegible] रेसज्यूडिकटा आरजि[illegible] उसी विवाध विषय व पक्षकारान के मध्य नया वाद लाने का अ[illegible]कारी नही है प्रार्थना [illegible]सी आधार पर खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:35:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज है कब्जा काश्त व सीव डोल अलग अलग है जिसके सम्बध में वाद पूर्व में निर्णत हो चुका है वादी ने स्थगन लेने के लिये नया वाद वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तुत किया गया है सायल न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नही आया है।

सायल व गैरसायल की भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है गैरसायलान वाद भूमि अन्यत्र बेय करने का तथ्य गलत तौर से दर्ज किया गया है गैरसायलान भूमि बेचान नही करना चाहते है सायल अच्छी माडी के अनुसार खाता विभाजन करवाने का अधिकारी नही है क्योकि खातेदारान ने कब्जा काश्त व सीव डोल अलग अलग है इसलिये खाता विभाजन अच्छी मे से अच्छी व माडी में से माडी के तौर पर खाता विभाजन करवा पाने के अधिकारी नही है सह खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

गैरसायल संख्या 2 ,3 ने सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की गैरसायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है अपने हिस्से की भूमि पर सीव बना कर भूमि काश्त करते आ रहे है इनके खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है गैरसायलान गरीब काश्तकार है जिसकी भूमि पर स्थगन ले रखा है जिससे गैरसयाल को नुकसान होता है अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायलान का जबाब शमिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खाता सख्या 5/5 के खसरा न0 126 की कुल 8.2830हैक भूमि मृतक करतारसिह पत्रु पालसिह व सायल व गेरसायल संख्या 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी व रोही मोजा कानसर के खाता संख्या 17/20 की कुल 10.6110हैक भूमि सायल व गैरसायल संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि मुश्तरका खाता की भूमि है तथा मुश्तरका खाता की भूमि में प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का हक व हिस्सा होता है गेरसायल संख्या 1 ता 3 बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी किस्म की भूमि को बेचान करना चाहता हे तथा सायल के साथ सीवं डोल से सम्बधित विवाद करते रहते है इसलिये सायल विवाद को टालने की गर्ज से वादग्रस्त भूमि का मुताबिक किस्म अच्छी में से अच्छी व माडी मे सं माडी के अनुसार खाता व लगान अलग– अलग तकसीम करवा पाने के अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 ता 3 जो काफी तेज तर्रार व्यक्ति है उक्त वाद भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी किस्म की भूमि को बेचान करना चाहते है यदि गैरसायल संख्या 1 ता 3 अपनी योजना में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी इसलिये सायल गेरसायल संख्या 1 ता 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 ता 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की रोही मौजा ब्राहम्णवासी के खाता संख्या 5/5 की कुल 8.2830हैक व रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 17/20 की कुल 10.6110हैक भूमि को खाता विभाजन होने तक रहन बेय या मुन्तकील नही करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमावें।

गैरसायल संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की पूर्व में वाद संख्या 278/2018 अनवानी हरलाल बनाम अमीलाल आदि अन्तर्गत 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत में दिनांक 31.08.2020 को तहसीलदार नोहर से रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात अन्तिम डिक्री हो चुका है तथा जिसकी सायल स्वय ने श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील अनवानी मनीराम बनाम हरलाल प्रस्तुत की गई थी इसलिये धारा 11 सीपीसी के तहत रेसज्यूडिकटा आरजि है पुनः उसी विवाध विषय व पक्षकारान के मध्य नया वाद लाने का अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज है कब्जा काश्त व सीव डोल अलग अलग है जिसके सम्बध में वाद पूर्व में निर्णत हो चुका है वादी ने स्थगन लेने के लिये नया वाद वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तुत किया गया है सायल न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नही आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:35:47 IST
Reason: SelfAttested

सायल व गैरसायल की भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है गैरसायलान वाद भूमि अन्यत्र बेय करने का तथ्य गलत तौर से दर्ज किया गया है गैरसायलान भूमि बेचान नही करना चाहते है सायल अच्छी माडी के अनुसार खाता विभाजन करवाने का अधिकारी नही है क्योकि खातेदारान ने कब्जा काश्त व सीव डोल अलग अलग है इसलिये खाता विभाजन अच्छी मे से अच्छी व माडी में से माडी के तौर पर खाता विभाजन करवा पाने के अधिकारी नही है सह खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

गैरसायल संख्या 2 ,3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की गैरसायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है अपने हिस्से की भूमि पर सीव बना कर भूमि काश्त करते आ रहे है इनके खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है गैरसायलान गरीब काश्तकार है जिसकी भूमि पर स्थगन ले रखा है जिससे गैरसयाल को नुकसान होता है अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र सायल जवाब प्रार्थना पत्र गैरसायलान 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदीया, शपथ पत्र का अध्ययन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि का खाता विभाजन अच्छी में से अच्छी माडी में माडी के अनुसार होगा या पूर्व में कायम सीव डोल के अनुसार होगा।

हम प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामलाः**–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में सायलान को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा सायलान को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है अर्थात सायल एव गैरसायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षों के पक्ष मे पाया जाता है।

2 **सुविधा का संतुलनः**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो सायल को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं।

हस्तगत प्रकरण से सम्बधित एक वाद पूर्व में भी इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो निर्णय उपरान्त राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में अपील होने पर माननीय न्यायालय ने प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है गैरसायलान ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है जिससे पूर्व में भी अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विवादित भूमि के सम्बध में विचाराधीन रहा हो या निर्णय किया जा चुका हो वाद भूमि के खाता विभाजन का वाद वर्तमान में विचाराधीन है अतः सुविधा का संतुलन उभयपक्षों के पक्ष में पाया जाता है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के सम्बध में दिनांक 04.07.2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा मुश्तरका खाते की भूमि के किसी विशेष भू भाग को रहन बैय यां मुन्तकिल नही करने के सम्बध में जारी की गई है।

कोई भी मुश्तरका खातेदार काश्तकार मुष्तरका भूमि में से अपनी भूमि को बेचान करने के लिये स्वतन्त्र है केवल वह मुष्तरका खाते की भूमि में विशेष हिस्से का बेचान नही कर सकता है मुश्तरका खातेदार का सयुक्त खाते की भूमि में प्रत्येक इचं पर हक हिस्सा होता है गैरसायलान ने जबाब में अंकित किया गया है कि मुश्तरका खाते की भूमि का अच्छी में से अच्छी माडी में से माडी भूमि के अनुसार खाता विभाजन करवाने का सायल अधिकारी नही है यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि का खाता विभाजन किस आधार पर किया जाना है सायल एवं गैरसायल का खाता विभाजन के सम्बध में किस्म भूमि को लेकर विवाद है जिसके लिये न्यायालय द्वारा मुश्तरका खाते में से किसी विशेष भू0 भाग को बेचान नही करने हेतु पाबन्द किया गया है जो न्यायोचित है विशेष भू0 भाग बेचान करने से उभयपक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही होते बल्की नियमों की पालना करने हेतु पाबन्द होते है जो विधि सम्मत भी है अतः सायल एवं गैरसायलान दोनो को मुश्तरका खाते की भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान नही करने हेतु पाबन्द किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपयुर्क्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस हक तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष मुश्तरका खाता की भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान ताफैसला दावा नही करे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना [illegible] से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ......[illegible]...... को [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:35:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)